न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0236 / 2021 तारीख रजू:– 08.06.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

1. सुशीला बेबा रविन्द्र जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली
2. योगेश | पिसरान रविन्द्र | नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता खुद
3. सूरज | | सुशीला बेबा रविन्द्र जाति जाट
4. मोनिका पुत्री रविन्द्र | निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————— सायलान

बनाम

1. देवीलाल पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ
2. कल्याण पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ
3. जितेन्द्र चौधरी पुत्र वीरेन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली
4. तहसीलदार तहसील सूरौठ
5. उप पंजीयक सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली ———— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायलान
2. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट गैरसायल सं01ता 3

निर्णय

दिनांक :– 17-9-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं03,4,5 के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी न्यायालय में बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 15:59:0
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायलान एवं ... सं01,2,3 व मूल वाद के प्रतिवादी सं03,4,5 की पैत्रिक पुश्तैनी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0, 1363/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात का साबिक खसरा नम्बर 435 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम धंधावली मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2037–40 में दर्ज है, जिसकी खातेदारी सायलान व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रसायल सं01 ता 3 व मूल वाद के प्रतिवादी सं0 3,4,5 के पूर्वज कजोडया पुत्र पृथ्वी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात तालिका मद नं02 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि सायलान व गैरसायल सं01 ता 3 व प्रतिवादी सं03,4,5 की पुश्तैनी भूमि है जो उनके बुजुर्ग कजोडया पुत्र पृथ्वी से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात बजमाने बुजुर्गान की धरोहर है जिसका उपयोग उपभोग पीडी दर पीडी सायलान एवं गैरसायल सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 3,4,5 करते चले आ रहे है और यही कम आज भी बदस्तर है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायल सं01 ता 3 व मूल वाद के प्रतिवादीगण सं0 3,4,5 एक ही परिवार के सदस्य हैं जो मृतक कजोडया की संतान हैं। जिनका पारिवारिक सजरा अंकित किया है जिसमें कजोडया (फौत) के वारिसान पांच लडके देवीलाल,कल्याण, खरगी (फौत), रामजीलाल (लाऔलाद फौत), चन्दा तथा दो पुत्री राजन व सूकी हैं। कल्याण के वारिसान वीरेन्द्र, गजेन्द्र, रविन्द (फौत) तीन पुत्र हैं तथा एक पुत्री मिथलेश है तथा मृतक रविन्द्र के वारिसान उसकी बेबा सुशीला एवं दो पुत्र योगेश, सूरज तथा एक पुत्री मोनिका है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी का मूल खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ है, जिसका पुराना खाता संख्या 116 एवं नवीन खाता संख्या 131 व 477 मुताविक जमाबन्दी सं0 अन्तिम चौसाला आधार वर्ष सं0 2071–74 जमाबन्दी सं0 2077 (वर्ष 2020) में स्थायी में दर्ज है, जो मृतक कजोडया पुत्र पृथ्वी से गैरसायल सं02 जो कि सायल सं01 का ससुर एवं सायल सं0 2ता 4 के दादाजी है तथा मूल वाद के प्रतिवादी सं03 ता 5 के पिताजी है एवं गैरसायल सं0 3 के दादाजी है को विरासत में प्राप्त हुयी है। जो पैत्रिक पुश्तैनी भूमि है, जिसके प्रत्येक अंश भाग पर सायलान एवं गैरसायल सं01 ता 3 व मूल वाद के प्रतिवादी सं03,4,5 की हिस्सेदारी है, उक्त आराजीयात का गैरसायल सं02 का हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायलान का उक्त आराजीयात में हिस्सा 1/8 के हिस्सेदारी की भूमि है, जिस पर सायलान का अपना कब्जा काश्त है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है [illegible] खातेदारी गैरसायल सं01 ,2,3 ने राजस्व कर्मचारियों से साजकर [illegible] के स्थान पर 16 एयर गैरसायल सं01 के नाम व 8 एयर [illegible] कि गैरसायल सं02 का नाती है के नाम गलत तरीके [illegible] दर्ज करा लीनी, इस प्रकार गैरसायल सं01 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] होने का नाजायज फायदा उठाकर पैत्रिक पुश्तैनी भूमि के बेचान करने पर आमादा है। पूर्व में भी 6 बीघा भूमि विकय कर चुके हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 28.05.2021 को समय करीब सुबह 8 बजे का है कि सायलान अपने हिस्से की भूमि की अपने नाम रजिस्ट्री करवाने तथा अनावश्यक रूप से बेचान नहीं करने की गैरसायल सं0 1ता 3 से कही तो गैरसायल सं01 ता 3 एकदम नाराज हो गये तथा गैरसायलान नं01 ता 3 सायलान के साथ झगडा करने पर आमादा हो गये और हाय हल्का सुनकर गाव के लोग व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गये जिन्होंने व अजखुद सायलान ने गैरसायल सं01 ता 3 को काफी समझाया परन्तु गैरसायल नं01 ता 3 अजखुद मानने को तैयार नहीं हुए तथा ऐलानियॉ धमकी दी कि खातेदारी हमारे नाम है और हम इस सम्पूर्ण भूमि को किसी दीगर व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाकर तुम्हें अपने हिस्से से बंचित कर गांव से भगाकर ही दम लेंगे। अगर गैरसायल सं01ता 3 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान भूमिहीन हो जावेगें । उनके बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी तथा सायलान को काफी क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से द्रव्य में संभव होना सम्भव नहीं हो सकेगा। गैरसायल सं01 ता 3 गैरसायल सं05 के यहॉ विक्रय पत्र पंजीवद्ध कराने पर आमादा है तथा गैरसायल सं04 के यहॉ राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने पर आमादा हैं। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाना आवश्यक है, यदि पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायल सं01 ता 3 सायलान के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0, 1363/2 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम ग्रंधावली तहसील सूरौठ में मजाहमत मदाखलत उत्पन्न नहीं करें। सायलान को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायलान के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। ना ही उक्त कार्य किसी अन्य से करावें सायलान के हिस्से की भूमि का बेचान अनावश्यक रूप से न करें, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। रहन वय ना करें। गैरसायल सं05 [illegible] से सम्बन्धित विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान [illegible] तलब किया गया। गैरसायल सं01 ता 3 बाद तामील जरिये वकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Si
Date: 2022.06.08 15:59:09 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तई गलत एवं झूठा दावा माननीय अदालत में पेश किया जाना स्वीकार है, जेसमें उनको सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का द नं02 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0 , 1363/2 कबा 0.08 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 435 रकबा 1 बीघा से बनना स्वीकार है। किया उज्रात गलत व अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का द नं03 गलत है अस्वीकार है। इस मद में सायलान द्वारा समस्त कथन एकदम लत मनगढन्त अंकित कर दिये हैं, विवादित आराजी से सायलान का कोई म्बन्ध किसी प्रकार का आज दिन तक नहीं रहा है और ना ही आज है। ना ही ायलान द्वारा उपरोक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग किया है बकिया उज्रात वेशेष विवरण में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का द नं04 में अंकित सजरा जिस प्रकार से अंकित किया गया है, स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का द नं05 में अंकित मूल खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम धंधावली हसील सूरौठ में होना स्वीकार है तथा उक्त भूमि पूर्व में देवीलाल कल्याणप्रसाद पे0 कजोडया के नाम दर्ज थी, उक्त आराजी खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.24 है0 ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ देवीलाल द्वारा अपना हिस्सा सुशीला पत्नि बाबूलाल को बेचान कर दिया तथा फिटर बंटवारे में खसरा नम्बर 1363/1 व 1363/2 हो गये, जिनको खातेदारान से गैरसायल सं03 द्वारा अपने नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 गलत है, अस्वीकार है। खसरा नम्बर 1363/1 व 1363/2 ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में सायलान का कोई हिस्सा नहीं है ना ही उक्त आराजीयात की खातेदारी सायलान के नाम है, ना ही कब्जा काश्त सायलान के नाम है बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात की खातेदारी वर्तमान में रेवन्यू रिकार्ड में गैरसायल सं03 जीतेन्द्र चौधरी के नाम दर्ज है तथा वह ही उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को काश्त कर रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि [illegible] का मद नं07 गलत है, अस्वीकार है। इस मद में सायलान द्वारा समस्त कथन [illegible]दम गलत अंकित की है उक्त आराजी जब गैरसायल सं03 [illegible] उसके नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आयी है तो खातेदारान [illegible] सहमति स्वेच्छा से विक्रय पत्र कराया है तथा आराजी विवादग्रस्त पर गैरस[illegible] सं03 काबिज एवं दखील है तथा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 गलत है, अस्वीकार है।तथाकथित तारीख 28.05.2021 एकदम गलत व मनगढन्त अंकित किये हैं जब उक्त आराजीयात से सायलान एवं गैरसायल सं01 व 2 का कोई सम्बन्ध ही नहीं है और ना ही इनका कब्जा काश्त है, उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गैरसायल सं03 की खातेदारी में आयी है, तथा उसका ही कब्जा काश्त है जो गैरसायलान द्वारा सायलान को धमकी देने का प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होता है तथा सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1362/1 व 1363/2 के बाबत् मुकदमा दर्ज कराया है जो गैरसायल सं03 की खातेदारी व कब्जे की भूमि है, इसलिए गैरसायलान के खिलाफ सायलान ने गलत मुकदमा पेश कर दिया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं09 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। यदि पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के ही पक्ष में है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1363/1,1363/2 का गैरसायल सं03 खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त कर रहा है इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र हाजा व दावा चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि आराजीयात पर सायलान खातेदार नहीं है और सायलान का कब्जा काश्त नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है इसलिए कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र हाजा व दावा चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1363/1,1363/2 को गैरसायल सं03 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार के यहाँ से पंजीबद्ध है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भी गैरसायल सं03 के हक में तस्दीक हो चुका है तथा गैरसायल सं03 काबिज काश्त है, इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है [illegible] ना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत [illegible] जमाबन्दी सं0 2047, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037– 40 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 1219 नि0दिं0 24.08.2016 ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 15:39:09 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 , फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2020 उनवानी श्रीमती सुशीला बहक जितेन्द्र चौधरी, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता–3, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.12. 2020 उनवानी देवीलाल बहक जितेन्द्र चौधरी, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ता 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037– 40 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 346 रकबा 6 बिस्वा, 435 रकबा 1 बीघा, 584 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी कजोडया पुत्र पृथ्वी जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 435 रकबा 1 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.24 है0, साबिक खसरा नम्बर 346 ग्राम धंधावली दौराने सेटिलमेन्ट कायम किया गया हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.08 है0, 1363 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीलाल कल्याण पि0 कजोडिया जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 1219 नि0दि0 24.08.2016 ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन में अंकित किया है कि न्या आपके द्वार आदेश क्रमांक 01 दिनांक 15.07.2016 मुताविक विभाजन आदेश का नामान्तकरण भरा गया है जिसमें खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.41 है0, 1321 रकबा 0.23 है0, 1339 रकबा 0.27 है0, 1352 रकबा 0.28 है0, 1438 रकबा 0.10 है0, 1439 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ के खातेदार देवीलाल, कल्याण, पुत्र कजोडया जाति जाट सा0देह खातेदार एवं खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.[illegible] ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ के खातेदार देवीलाल पुत्र कजोडया हि[illegible] कल्याण पुत्र कजोडया हि0 1/2, सा0देह , सुशीला पत्नि [illegible] निवासी सूरौठ हिस्सा 1/3 खातेदार के स्थान पर मुताविक विभाजन [illegible] नामान्तकरण खसरा 1363/1 रकबा 0.16 है0 देवीलाल पुत्र कजोडया जाति ज[illegible] सा0देह के हक में तथा खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.41 है0, 1321 रकबा 0.23 है0, 1339 रकबा 0.27 है0, 1352 रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.19

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifi
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 15:59:0
Reason: SelfAttested

है0 ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ कल्याण पुत्र कजोडया जाति जाट सा0देह के हक में तथा खसरा नम्बर 1438 रकबा 0.10 है0, 1439 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ देवीलाल पुत्र कजोडया जाति जाट सा0देह के हक में तथा खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 0.08 है0 सुशीला देवी पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी सूरौठ के हक में भरकर दिनांक 24.08.2016 को तहसीलदार हिण्डौन द्वारा निर्णित किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी सुशीला पत्नि बाबूलाल हिस्सा पूर्ण जाति माली निवासी सूरौठ खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.12.2020 उनवानी श्रीमती सुशीला बहक जितेन्द्र चौधरी के अनुसार विकेती श्रीमती सुशीला पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी सूरौठ जिला करौली के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 0.08 है0 ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का बेचान जितेन्द्र चौधरी पुत्र वीरेन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली केता द्वितीय पक्ष के हक में किया है तथा विकीत भूमि पर कब्जा केता को संभलाना भी अंकित किया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी जितेन्द्र चौधरी पुत्र वीरेन्द्र चौधरी हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1363/1रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी देवीलाल पुत्र कजोडया हिस्सा पूर्ण जाति जाट देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.12.2020 उनवानी देवीलाल बहक जितेन्द्र चौधरी के अनुसार विकेता देवीलाल पुत्र कजोडया जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का बेचान जितेन्द्र चौधरी पुत्र वीरेन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली केता के हक में किया गया है तथा विकीत भूमि [illegible] केता को संभलाना भी अंकित किया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी जितेन्द्र चौधरी पुत्र वीरेन्द्र चौधरी हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.24 है0 में से खातेदार देवीलाल पुत्र कजोडया ने अपने हिस्सा 1/2 में से 2/6 भाग की भूमि को सुशीला पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी सूरौठ के हक में बेचान कर दिया इसके उपरान्त देवीलाल पुत्र कजोडया जाट हि01/6 का खातेदार एवं सुशीला पत्नि बाबूलाल माली हि01/3 एवं कल्याण पुत्र कजोडया हि01/2 के खातेदार शेष रहे किन्तु न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के अन्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.24 है0 के साथ साथ देवीलाल कल्याण पि0 कजोडया जाति जाट की उपरोक्त नामान्तकरण सं0 1219 में दर्ज आराजीयात का भी विभाजन किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0 देवीलाल पुत्र कजोडया के हिस्से में आया तथा खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 0.08 है0 सुशीला पत्नि बाबूलाल जाति माली के हिस्से में आया। खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0 को खातेदार देवीलाल पुत्र कजोडया के द्वारा गैरसायल सं03 जितेन्द्र चौधरी के हक में जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान किया जा चुका है तथा खातेदारी जितेन्द्र चौधरी के नाम तब्दील हो चुकी है इसी प्रकार खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 0.08 है0 को खातेदार सुशीला पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी सूरौठ ने जितेन्द्र चौधरी के हक में जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान किया जा चुका है तथा खातेदारी जितेन्द्र चौधरी के नाम तब्दील हो चुकी है। इस प्रकार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0, 1363/2 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का गैरसायल सं01 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे सायलान एवं गैरसायल सं01 व 2 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है। सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति होने की सम्भावना नहीं है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर गैरसायल सं03 को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू गैरसायल सं03 के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 0.16 है0, 1363/2 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर दाखिल दफ्तर हो व मूल पत्रावली के साथ शामिल मिसल रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17-9-2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)